यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून के माह 09/2015 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राज कुमार (ले.प.), श्री खुशीराम (व.ले.प.), सुश्री रेखा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 26.07.2017 से 02.08.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजबहादुर एवं श्री रामवीर संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 10.09.2015 से 19.09.2015 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2013 से 08/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः महा वद्यालय की स्थापना सन् 1892 में मेरठ में एक संस्कृत पाठशाला के रूप में हुई जिनकी प्रबन्ध स मति को सन् 1904 ई. में देहरादून के दानवीर ठाकुर पूर्ण संह नेगी ने भू-सम्प त्त दान में दी थी। जिसके फलस्वरूप यह स्कूल मेरठ से देहरादून स्थानान्तरित हो गया सन् 1922 में इण्टरमी डएट कालेज, सन् 1946 में डग्री कालेज और 1948 में पी.जी. कालेज बना सन् 1892 में कानपुर में गठित डी.ए.वी. कालेज ट्रस्ट एण्ड मैनेजमेन्ट सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष बाबू ज्योति स्वरूप थे। 30 मार्च 1960 को बाबू वृजेन्द्र स्वरूप जी के निधन के उपरान्त उनके छोटे पुत्र डा. वीरेन्द्र स्वरूप जी ने अपनी अप्रतिम प्रतिभा और सामाजिक नेतृत्व के बल पर शक्षा जगत के प्रतीक पुरूष के रूप में ख्याति अर्जित की उनके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री जगेन्द्र स्वरूप जी ने दयानन्द शक्षा संस्थान के महामंत्री का कार्यभार संभाला। वे कालान्तर में प्रख्यात अ धवक्ता के रूप में सम्मानित हुए। सन् 1980 से निस्तर छः बार वधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य निर्वा चत हुए। उनके निधन के उपरान्त उनके सुपुत्र श्री मानवेन्द्र स्वरूप एडवोकेट वर्तमान में महामंत्री है।

उत्तराखण्ड का यह सबसे बडा महा वद्यालय है। वर्तमान में यहाँ लगभग 12500 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है। स्तानक एवं स्नातकोत्तर वषयों के साथ शोध कार्य भी कुशल शक्षकों के नेतृत्व में होता है।

यहाँ के छात्र/छात्राऐं सेना, शासन, प्रशासन, उद्योग, व्यवसाय, कला साहित्य सहित व भन्न क्षेत्रों में व शष्ट योगदान दे रहे है।

2. (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	1636.02	1636.02	NIL	NIL	-	-
2016-17	-	-	2104.64	2104.64	NIL	NIL	-	-
2017-18	-	-	552.53	552.53	NIL	NIL	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
----------शून्य----------					

(iii) इकाई को बजट गैर स्थापना मद में शासन द्वारा कोई बजट आवंटन नहीं कया जाता। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई (बी) श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1- संगठनात्मक ढांचा 2- उच्च शक्षा निदेशालय हल्द्वानी (नैनीताल) 3- प्रबन्धक, कानुपर 4- प्राचार्य, डी.ए.वी. (पी.जी.) कालेज, देहरादून 5- प्रवक्ता वर्ग 6- शक्षणेत्तर प्रभारी 7- कार्यालय प्रभारी 8- समूह (ग) कर्मचारी 9- समूह (घ) कर्मचारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्राचार्य डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 व 06/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1-रू. 1.95 करोड़ की लागत से नि र्मत भवन का निर्माण नियामनुकूल न पाया जाना।

(1) उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 74 के अनुसार, यह नियमावली कसी सार्वजनिक अथवा निजी, स्वायतशासी या सां व धक निकाय को राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान या वत्तीय सहायता पर भी लागू होगी।

(2) उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियम 2008 के नियम 31(2) के अनुसार कोई वभाग अपने स्व ववेक से रू. 10 लाख से अ धक आग णत मूल्य के मूल/मरम्मत कार्य, चाहे वह स वल निर्माण कार्य हो अथवा वद्युतीय कार्य हो, कसी प्रा धकृत, लोक निर्माण संगठन, जिसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के उपक्रम संबं धत है, निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) नियम 31(5) के अंतर्गत यदि वभागीय अनुदान, आदेश तथा आय-व्यय प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कसी एजेंसी को आवंटित न कया गया हो तो ऐसा कार्य राज्य के लो. नि. व. द्वारा कया जाएगा।

उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए, कार्यालय D.A.V. (P.G.) College, देहरादून द्वारा नि र्मत एकेड मक ब्लॉक (18 Classrooms) भवन के निर्माण, जिसकी लागत रू. 1.95 करोड़ है, की लेखापरीक्षा जांच की गई। लेखापरीक्षा जांच में नि र्मत भवन की वत्तीय स्वीकृति के पत्र की कॉपी नहीं पायी गयी तथा अ भलेखों में उपलब्ध आगणन में तकनीकी स्वीकृति भी अप्राप्त थी तथा आगणन में अ धकृत शासकीय अ भयंता से Procurement rule के अनुसार P.W.D. की दर से सम र्थत संबंधी अनुमोदन नहीं प्राप्त कया जाना पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस और इं गत के जाने पर पर महा वद्यालय ने उत्तर दिया क प्रबंध तंत्र द्वारा 18 अध्ययन कक्षों के निर्माण के लए संज्ञान लेते हुए प्राचार्य को नि वदा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु मै खक निर्दे शत कया। आगणन एवं तकनीकी के संबंध में महा वद्यालय ने उत्तर दिया क P.W.D. से रेट प्राप्त कए गए थे जो क काफी ज्यादा थे (आ फस से फेर-बदल के कारण कापी प्रस्तुत नही) नि वदा के रेट P.W.D. के रेट से काफी कम है।

लेखापरीक्षा उपरोक्त दोनों उत्तरों से सहमत नहीं है क्यों क उपरोक्त उत्तरों के साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं कए गए। महा वद्यालय द्वारा भवन निर्माण सरकारी मानदण्डों पर न कराकर मनमाने ढंग से स्थानीय शर्तों पर कराया गया जो नियमावली 2008 के नियम 74 (उपरोक्त) का स्पष्टतया उल्लंघन है।

अतः रू. 1.95 करोड़ का प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- छात्रों को वापस होने वाली कॉशन मनी के बाद उपलब्ध कोष रू. 85.58 लाख से रू. 13.11 लाख का व्यय नियम संगत नहीं पाया गया।

कार्यालय डी.ए.वी. (पी.जी.) कालेज, देहरादून द्वारा कॉशन मनी से संबं धत रख रखाव कये खाता सं. SB- 2175 (सेन्ट्रल बैंक आफ इं डया, करनपुर शाखा), गाईडलाइन्स तथा संगत अ भलेखों की जांच लेखापरीक्षा में की गयी। इस संबंध में शासन के आदेश सं. 5125/15-11-86-4 ए (45)/85 दिनांक 10 जुलाई, 2016 जो वर्तमान में प्रभावी पाया गया के अनुसार यदि कोई छात्र महा वद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी कांशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह रा श व्ययगत (लैप्स) कर दी जायेगी। यदि कन्ही कारणों से कसी छात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बचत 03 वर्ष तक बनी रहती है। तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिस पर कालेज के प्रबंध स मति के अनुमोदनोपरांत उच्च शक्षा निदेशक अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

उपरोक्त गाईडलाइन्स के परिपेक्ष्य में कॉशन मनी जो वापस कये जाने योग्य नहीं थी, की उपलब्ध कोष रू. 85.58 लाख की गणना इस प्रकार की गयी। जुलाई 2017 तक सं चत अवशेष रा श रू. 15118902.00 में से 2010-11 से 2016-17 तक की कुल प्राप्ति शुल्क रू. 6551400.00 जिसे वद्या र्थयों को समयाव ध (05 वर्ष पी.जी.+03 वर्ष आवेदन अव ध) = 8 वर्ष) पूरी होने के पश्चात वापस की जानी है। तथा 2009-10 की प्राप्ति शुल्क जो 2016-17 में वापसी योग्य थी, के सापेक्ष वापसी शुल्क रू. 240.00 को निकालते हुये उपलब्ध कोष में धनरा स आक लत की गयी। जांच में आगे पाया गया क कालेज द्वारा अन्य प्रयोजन के लए दिनांक 28.07.2014, 05.08.2014, 01.08.2014, 08.08.2014, 27.08.2014, 29.08.2014, 08.09.2014 तथा 18.02.2015 को समय-समय पर धन का आहरण कया गया, जिसमें से समायोजन शून्य पाया गया। उपलब्ध अ भलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया क वगत 05 वर्षों में शुल्क प्राप्ति के सापेक्ष शुल्क वापसी दर नगण्य रहा। कॉशन मनी के वापसी के संबंध में छात्रों को अवसर प्रदान करने के लये कालेज द्वारा समसाम लक अ धसूचना जारी नहीं की जा रही थी। कालेज के द्वारा ली जा रही कॉशन मनी की स्थिति अनुलग्नक में दर्ज है।

इस ओर इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क कॉशन मनी वापसी के संबंध में प्रास्पेक्टस में उल्लेख है। अलग से कोई अ धसूचना जारी नहीं की जाती। दिनांक 28.07.2014 से दिनांक 18.02.2015 तक भुगतान की गई धनरा श स चव, प्रबंधन तंत्र

के अनुमोदन के उपरांत छात्रहित में महा वद्यालय के मुख्य गेट कामर्स वभाग के सामने तथा पछले गेट पर CC कार्य कराया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क जब स्पष्ट निर्देश था क कॉशन मनी से व्यय करने के लये उच्च शक्षा निदेशक से अनुमति लेना अनिवार्य है, फर भी इसका उल्लंघन कर मनमाने ढंग से व्यय कया गया। जब वर्ष दर वर्ष छात्रों द्वारा कॉशन मनी का आवेदन पत्र महा वद्यालय को पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं कया जा रहा था, तो महा वद्यालय का कर्तव्य था क छात्रों को समसामयिक अवगत कराने के लये सूचना प्रका शत करें, परंतु इसमें उदासीनता दिखायी गयी।

अतः प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक

कॉशन मनी का ववरण

वर्ष	बैंक खाता के अनुसार रा श (अर्जित ब्याज सहित)	शुल्क प्राप्ति	शुल्क वापसी
2012-13	11356209	1251120	3740
2013-14	13014072	1298380	180
2014-15	12795562	428940	880
2015-16	13788432	476320	NIL
2016-17	14967992	483600	240

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- रू. 2.02 लाख का व्यय नियमानुकूल नहीं पाया जाना।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम-19 के अनुसार क्रय की जाने वाली सामग्री की लागत तथा उसकी प्रकृति को दृष्टि में रखते हुये यदि आवश्यक हो तो ऐसी सामग्री के रखरखाव हेतु भी निश्चित अव ध की सं वदा सामग्री के आपूर्तिकर्त्ता अथवा आपूर्तिकर्त्ता से भन्न Annual Maintenance contract (AMC) सक्षम फर्म के साथ की जाय।

कार्यालय डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून की कैश-बुक में वत्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 की अव ध में दर्ज लेन देन की ववरणों की नमूना जांच में पाया गया क ववरणों की सत. 15 (बिल सं. 05 व 17), दिस. 15 (बिल सं. 10 व 15), जन. 16(बिल सं. 02,06,08,11), फर. 16(बिल सं. 01), अप्रैल 16 (बिल सं. 01,03 व 09), मई 16(बिल सं. 03) जुलाई 16(बिल सं. 1A), अगस्त 16 (बिल सं. 09,13 व 14), अक्टूबर 16(बिल सं. 04,06,10,25 व 31), नवम्बर 16(बिल सं. 08), दिस 16(बिल सं. 08), फरवरी 17(बिल सं. 08,04,11,33 व 37), मई 17(बिल सं. 10 व 16), एवं जून 17 (बिल सं. 06, 07 व 13) के निरंतर अव ध के दौरान सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस तथा कम्प्यूटर अनुरक्षण पर कुल रू. 2,02,289.00 का व्यय कया गया। जिसमें अ धकांश भुगतान फर्म RMS Informatics को कया गया। तथा कम्प्यूटर संयंत्रों का रखरखाव वा र्षक सं वदा के तहत नहीं पाया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क मशीन से संबं धत रखरखाव में भ वष्य में लेखापरीक्षा के सुझाव के तहत AMC की प्र क्रया को अपनाया जायेगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया क्यों क अल्प अव ध में एक ही मद पर निरंतर व्यय की प्रकृति होने के कारण Procurement rule – 2008 के तहत फर्म से अनुबंध कया जाता है तो वह शासकीय हित में मतव्ययी (Economical) होता तथा मशीन की लम्बी क्रयाशीलता के साथ-साथ फर्म से त्वरित सेवा भी प्राप्त होती।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
88/2015-16	------	1,2,3	1,2,3
135/2013-14	01	1,2,3,4,5 व 6	1 व 2
35/2009-10	01	1 व 2	--------

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यथावत				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा. डी.के. भसीन	प्राचार्य

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्राचार्य डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र